प्रेस विज्ञप्ति
27.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आँचलिक कार्यालय ने 23.10.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली निवासी टिकट एजेंट तरुण खोसला को फरवरी 2025 में अमेरिका से निर्वासित भारतीयों से संबंधित 'डंकी रूट मामले' में गिरफ्तार किया है। विशेष पीएमएलए न्यायालय ने उसे 30.10.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी की जाँच पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता, 1860) की विभिन्न धाराओं तथा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर आरंभ की गई थी। यह जाँच फरवरी 2025 में 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से मैक्सिको सीमा के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करने के कारण वहाँ से निर्वासित किए जाने के बाद शुरू हुई।

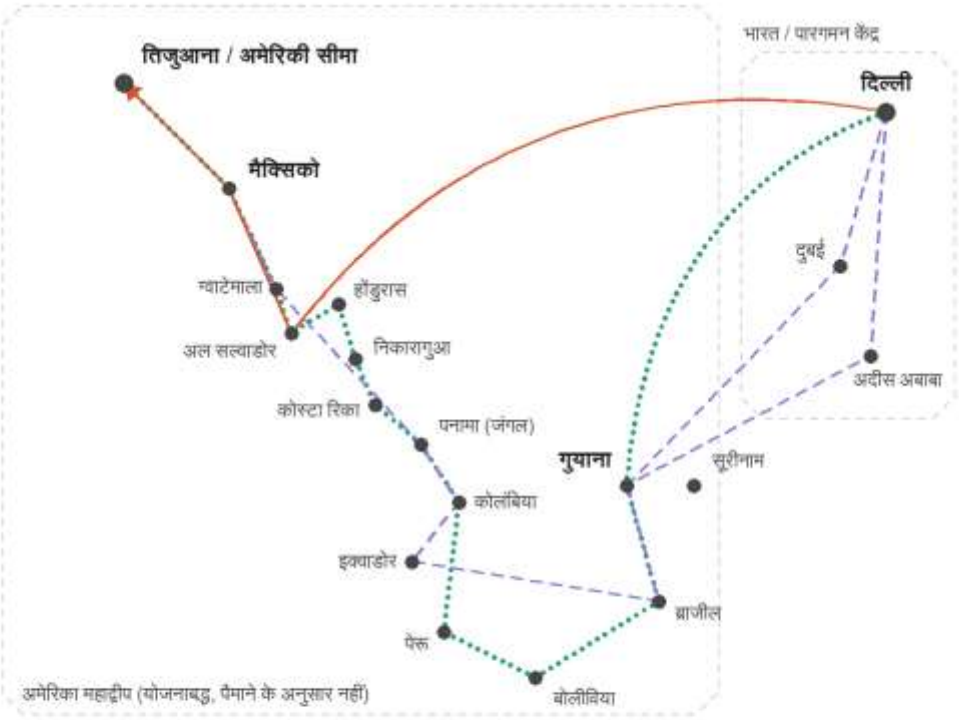
जाँच में सामने आया है कि अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों को एजेंटों और बिचौलियों ने कानूनी माध्यमों से अमेरिका भेजने का झूठा आश्वासन देकर प्रलोभित किया, किंतु उन्हें इसके बजाय 'डंकी रूट' से भेजा गया। इस रूट में स्थानीय डंकरों और माफिया की सहायता से दक्षिण और मध्य अमेरिका के कई देशों की सीमाएँ खतरनाक रास्तों से अवैध रूप से पार कराई जाती थीं। ऐसे लोगों से लगभग 30 लाख रुपये से 60 लाख रुपये तक वसूले गए।

इससे पहले, इस मामले में 09.07.2025 और 11.07.2025 को 19 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। इस दौरान अपराध संकेती दस्तावेज़, अभिलेख, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री पाई और बरामद की गई, जिनमें निकारागुआ और इथियोपिया से संबंधित फर्जी आव्रजन मुहरें और फर्जी वीजा मुहरें भी शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, ईडी ने 15.12.2025 को लगभग 5.41 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की थीं। इनमें कृषि भूमि, आवासीय

परिसर, व्यावसायिक परिसर और बैंक खातों में जमा शेष राशि शामिल थी। ये संपत्तियाँ अमेरिका में लोगों को अवैध रूप से भेजने में शामिल विभिन्न एजेंटों द्वारा अर्जित अपराध की आय से प्राप्त थीं अथवा उसके समतुल्य मूल्य की थीं।

इसके बाद ईडी ने 18.12.2025 और 19.12.2025 को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान उक्त तरुण खोसला के परिसरों से 4.62 करोड़ रुपये की नकदी, लगभग 5.9 किलोग्राम सोने की छड़ें और सिक्के तथा लगभग 313 किलोग्राम चाँदी की छड़ें (कुल मूल्य 19.14 करोड़ रुपये) ज़ब्त की गईं। इनके अतिरिक्त आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी ज़ब्त किए गए। साथ ही, अन्य परिसरों से अन्य व्यक्तियों के 50 से अधिक मूल पासपोर्ट, डायरियाँ, लेन-देन के अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए।

जाँच में सामने आया है कि तरुण खोसला 'डंकी रूट' नेटवर्क का प्रमुख सुविधाकर्ता था। वह पंजाब और हरियाणा के कई एजेंटों से जुड़ा था। ये एजेंट अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों से पासपोर्ट और पैसे लेकर दिल्ली में उसे सौंपते थे। इसके बाद वह गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर और अल सल्वाडोर आदि दक्षिण अमेरिकी पारगमन देशों के लिए वीजा और हवाई टिकटों की व्यवस्था करता था तथा उन्हें अवैध और खतरनाक मार्गों से अमेरिकी सीमा की ओर भेजने में भी सहायता करता था। 'डंकी रूट' से यात्रा करने वाले हर व्यक्ति के लिए मार्ग और कीमत तय करने में वह प्रमुख निर्णयकर्ता था। अमेरिका में अवैध प्रवेश के लिए अपनाए गए उक्त मार्ग नीचे दर्शाए गए हैं:



मार्ग क: अल सल्वाडोर तक हवाई मार्ग, फिर सड़क मार्ग से मैक्सिको, उसके बाद तिजुआना होते हुए अमेरिका में प्रवेश। प्रति व्यक्ति लगभग 35-40 लाख रुपये।

मार्ग ख: दुबई या अदीस अबाबा के रास्ते गुयाना, फिर सड़क मार्ग से ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा के जंगल, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और तिजुआना। प्रति व्यक्ति लगभग 25-30 लाख रुपये।

मार्ग ग (एक निर्वासित व्यक्ति द्वारा बताई गई यात्रा): गुयाना, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अमेरिकी सीमा।

जब्त किए गए उसके मोबाइल फोनों से प्राप्त डेटा में उसकी आपत्तिजनक चैट मिली हैं, जो दर्शाती हैं कि वह आव्रजन मंजूरी का इंतज़ाम कराने वाले 'फिक्सर' के रूप में कार्य करता था। एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क के साथ उसकी चैट से विदेशी हवाई अड्डों पर ज़मीनी स्तर पर समन्वय का पता चलता है, जिसमें आव्रजन मंजूरी के लिए पैसे एकत्र करना, टिकटों की व्यवस्था करना, यात्रियों को संभालना और अमेरिकी डॉलर में भुगतान शामिल है। 'ओके टू बोर्ड' पृष्ठांकन जैसे निर्देशों तथा विमानन कंपनी और आव्रजन कर्मियों के साथ समन्वय से पारगमन व्यवस्थाओं पर उसका परिचालन नियंत्रण भी सिद्ध होता है। जाँच में आगे पता चला है कि तरुण खोसला उक्त अवैध 'डंकी रूट' कारोबार का प्रमुख खिलाड़ी है। वह 'डंकी रूट' से लोगों को अमेरिका भेजने की व्यवस्था करता था, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए वीजा मंजूरी, फर्जी या जाली पीत ज्वर टीकाकरण प्रमाणपत्रों की व्यवस्था, टिकट बुकिंग और डंकरों का प्रबंधन शामिल था।

उसकी विदेशी डंकरों से भी चैट मिली हैं, जैसे मैक्सिको में “माइक”, ब्राजील में “अली” और मैक्सिको में ही एक अन्य संपर्क “क्रिस्टी”, जो ‘डंकी रूट’ से लोगों को सीमा पार कराने वाले डंकरों और उनसे जुड़े भुगतानों का प्रबंधन करते थे। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उसकी एकल स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स बी.जे. इंटरनेशनल के बैंक खाते में नकद जमा के 414 लेन-देन के माध्यम से कुल 30.38 करोड़ रुपये जमा किए जाने का पता चला है।

अब तक की जाँच में सामने आया है कि यह एक सुसंगठित नेटवर्क था। यह नेटवर्क आम और भोले-भाले लोगों को लुभाकर उनकी अवैध यात्रा की आरंभ से अंत तक की पूरी व्यवस्था और समन्वय करता था तथा पिछले कई वर्षों से उनसे भारी कमीशन कमा रहा था।

आगे की जाँच जारी है।